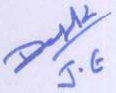


परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट—रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण —पत्र

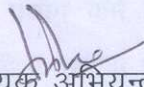
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट—रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण संरेखण पर वृक्ष खडे मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X-3/2011 /8 (21) / 2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X-3/ 2011/8 (21)/2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) ख, गु व ड में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षो का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

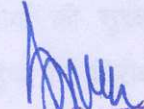
अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

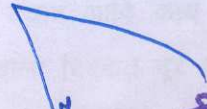

J. G.


अमोल


पटवारी


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग

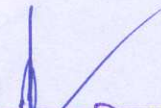

तहसीलदार
तहसील—घाट
जिला—चमोली
दिनांक


उप निवाधिकारी
उप निवाधिकारी
चमोली

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


वन क्षेत्राधिकार
नन्दप्रयाग

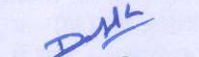
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बदरीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

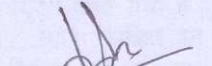

प्रभागीय प्रनाधिकारी
बदरीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

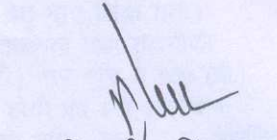
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में
घाट—रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से
कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में
वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

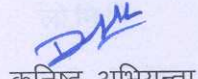
:मानक शर्तें:

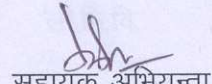
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

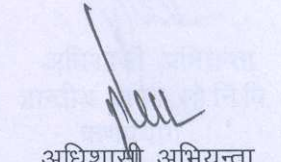
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

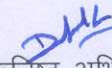
परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट—रामणी
मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर
मार्ग का निर्माण कार्य।

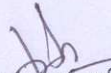
परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को जलौनी लकड़ी / कुकिंग गैस आदि
उपलब्ध कराया जाना।

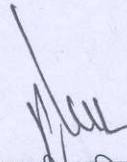
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों अथवा कर्मचारियों
के लिए निर्माण एजेंसी विभाग डीजल एवं मिट्टी का तेल की आपूर्ति ईंधन के रूप में करेगा, वन्य
जलौनी लकड़ी का उपयोग उक्त कार्य में नहीं किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

इको क्लास/एन.पी.वी. का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-रामणी
मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर
मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अर्न्तगत पडने
वाली वन भूमि ईको क्लास V Dense Forest के अर्न्तगत आता है। जिसका एन.पी.वी.
का मूल्य ~~०४१०~~ हे. प्रति है. X ~~०३०००~~ ^{६५२.०००} /-की दर स रु. ~~१५५५०००~~ (रु. ~~सात लाख इकतीस हजार~~
~~रु. सो पचास~~ ^{५३२१०००}) मात्र होता है।

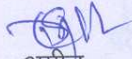
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर
प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:-

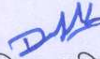
जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में
घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से
कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

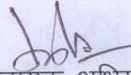
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लो0नि0वि0 द्वारा जमा करा दी जायेगी।



अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.



अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में
घाट—रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से
कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.810 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 50.00 लाख प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू० 40.00 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेंटप्रतिशत की दर सेरू० होता है।


पटवारी क्षेत्र

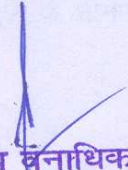

तहसीलदार
तहसीलदार
तहसील—घाट
जिला—चमोली
दिनांक


जिलाधिकारी
चमोली

सीमांकन प्राक्कलन :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाट रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग (1.00 किमी०) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष सीमांकन योजना का व्यय।

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	कि० मी०	दर प्रति कि० मी०	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5
1	R. C. R. पिलर (मुनारा) बनाना 1:6 सीमेंट में मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी नम्बर करना	1.00 4 km	11,640.00	11,640.00 46560.00
	योग:-	1.00		11,640.00


प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

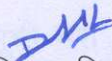

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली जिला
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

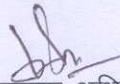
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में
घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से
कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

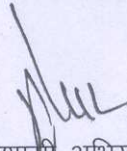
प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का
भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अमोन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

2:— प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में)	है.
आरक्षित वन भूमि—	— शून्य— है.
सिविल एवं सोयम वन भूमि:—	0.810 है.
वन पंचायती भूमि—	— हैं.
मक डिस्पोजल क्षेत्र(सिविल)—	है.
निजी भूमि —	0.090 है.

3:— प्रस्तावक विभाग का नाम :—

लोक निर्माण विभाग

4:— वन प्रभाग का नाम :—

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

5:— प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:—

✓ हॉ / नहीं

6:— प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:—

✓ हॉ / नहीं

7:— क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के

सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

✓ हॉ / नहीं

8:— क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक

व स्थान भरा गया है—

✓ हॉ / नहीं,

9:— प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:—

✓ हॉ / नहीं,

10:—प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/
संलग्न है:—

✓ हॉ / नहीं

11:— बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में

संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है—

✓ हॉ / नहीं

12:— प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावत

विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।

✓ हॉ / नहीं

13:-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप

से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:-

✓ हॉ / नहीं

14:- क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:-

✓ हॉ / नहीं

15:- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है-

✓ हॉ / नहीं

16:- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया

गया है:-

✓ हॉ / नहीं

17:- प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त

पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:-

✓ हॉ / नहीं

18:- क्या परियोजना क्षेत्र बन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से

महत्वपूर्ण है:-

हॉ / नहीं ✓

19:- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:-

हॉ / नहीं ✓

यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है-

हॉ / नहीं ✓

20:- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:-

✓ हॉ / नहीं

21:- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से

आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे

बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति

की प्रति संलग्न करें):-

नया प्रस्तावित है।

22:- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2

रंगों से भरा गया है:-

✓ हॉ / नहीं

23:- यदि सडक का आरम्भिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता

है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:-

✓ हॉ / नहीं

24:- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का

उल्लंघन हुआ है:-

हॉ / नहीं ✓

25:- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी

अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई

कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:-

हॉ / नहीं ✓

26:- सडक निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक

समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:-

✓ हॉ/ नहीं

27:- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय):-

✓ हाँ

28:- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):-

हॉ/ नहीं

29:- मानचित्र व वार चार्ट में एक रूपता है:-

✓ हॉ/ नहीं

30:- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:-

✓ हॉ/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र संलग्न है:-

हॉ/ नहीं

31:- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण -पत्र प्रस्ताव में संलग्न है:-

✓ हॉ/ नहीं

32:- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है:-

✓ हॉ/ नहीं

33:- यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र, संलग्न है:-

लागू नहीं

34:- वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:-

✓ हॉ/ नहीं

35:- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:-

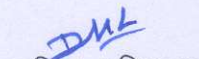
✓ हॉ/ नहीं

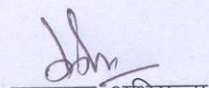
36:- क्या वैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र -संलग्न:-

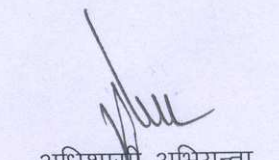
✓ हॉ/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं वैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण -पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

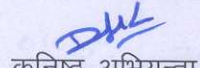

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

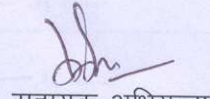
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में
घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से
कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

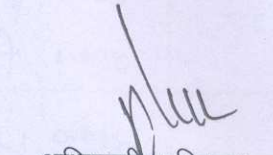
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीम
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग